

राजस्व घाटा अनुदान

प्रलिस के लयि:

राजस्व घाटा अनुदान, सहायता अनुदान, वलित आयुग, भारत की संचति नधि, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 275

मेन्स के लयि:

केंद्र-राज्य संबंघ, सरकारी नीतयिं और हस्तकषेप

चरचा में क्युं?

हाल ही में वलित मंत्रालय ने 14 राज्युं कु 7,183 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की मासकि कसित जारी की है।

वचिलन बाद राजस्व घाटा (PDRD):

परचिय:

- केंद्र सरकार, संवधिान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्युं कु **वचिलन बाद राजस्व घाटा अनुदान** प्रदान करती है।
 - अनुच्छेद 275 संसद कु इस बात का अधकिार प्रदान करता है कविह ऐसे राज्युं कु उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है, जनिहें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।
- अनुदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष भारत की **संचति नधि** से कयिा जाता है और वभिनिन राज्युं के लयि अलग-अलग राशि निर्धारति की जा सकती है।
 - ये अनुदान पूंजी और आवरती राशि के रूप में आवश्यक हो सकते हैं।

उद्देश्य:

- इन अनुदानुं का उद्देश्य राज्युं कु राज्य स्तरीय कल्याणकारी युोजनां कु लागत कु पूरा करने या अनुसूचति कषेत्रुं के प्रशासन के स्तर में सुधार करने में सकषम बनाना है।
- अनुदानुं का मुख्य उद्देश्य वलितिय संसाधनुं में अंतर-राज्यीय असमानतां कु दूर करना और एक समान राषट्रीय स्तर पर राज्य सरकारुं की कल्याणकारी युोजनां के रखरखाव एवं वसितार का समन्वय करना है।

अनुदान हेतु सफिारशि:

- राज्युं के हस्तांतरण के बाद (केंद्र के वभिज्य कर भाग) राजस्व खातुं में अंतर कु पूरा करने के लयि मासकि कशितुं **वलित आयुग की सफिारशिं** के अनुसार अनुदान जारी कयि जाते हैं।
- 15वें वलित आयुग (FC) ने वलित वर्ष 2026 में समाप्त होने वाली पाँच साल की अवधि में लगभग **3 ट्रिलियन रुपए की राशि के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सफिारशि की है।**
 - इस अनुदान कु प्राप्त करने के लयि राज्युं की **पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयुग द्वारा राज्य के राजस्व एवं व्यय के आकलन** के बीच के अंतर के आधार पर कयिा गया था।
 - वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वलित आयुग द्वारा PDRD अनुदान के लयि जनि राज्युं की अनुशंसा की गई है, वे हैं **आंध्र प्रदेश, असम, हमाचल प्रदेश, केरल, मणपुरि, मेघालय, मज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सकिकिमि, त्रपुरा, उत्तराखंड और पश्चमि बंगाल।**

केंद्र-राज्य वलितिय संबंघुं का संवधिान द्वारा संचालन:

संवधिानकि प्रावधान:

- भारतीय संवधिान ने करुं के वलितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और ऋण लेने की शक्ति से संबंघति वसितुत प्रावधान कयि हैं, जो राज्युं कु संघ द्वारा सहायता अनुदान के प्रावधानुं के पूरक हैं।
- भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्युं के बीच वलितिय संबंघुं से संबंघति प्रावधान हैं।

- कर लगाने की शक्तयिं:** संवधिान केंद्र और राज्युं के मध्य कर शक्तयिं कु नमिनानुसार वभिजति करता है:

- संसद को **संघ सूची** में शामिल वषियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है, राज्य वधायिका को राज्य सूची में शामिल वषियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।
- दोनों **समवर्ती सूची** में उल्लिखित वषियों पर कर लगा सकते हैं, जबकि करिाधान की **अवशष्टि शक्ति केवल संसद के पास** है।
- **कर राजस्व का वतरण:**
 - **अनुच्छेद 268:**
 - यह संघ द्वारा आरोपति कर के लयि प्रावधान करता है, **लेकनि राज्यों द्वारा एकत्र और वनियोजति** कयिा जाता है।
 - इसमें **बलि ऑफ एक्सचेंज, चेक आदिपर सटांप शुल्क** शामिल है।
 - **अनुच्छेद 269:**
 - इसमें **संघ द्वारा लगाए गए और साथ ही एकत्र कयिे गए लेकनि राज्यों को सौंपे** गए कर शामिल हैं।
 - इनमें **अंतरराज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान वसतुओं** की बकिरी और खरीद पर कर या **अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान वसतु** की खेप पर कर शामिल हैं।
 - **अनुच्छेद 269-A:**
 - यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणजिय के दौरान **वसतु और सेवा कर (GST)** के करारोपण एवं संग्रह का प्रावधान करता है।
 - ऐसे व्यापार के दौरान आपूर्तिपर GST को **केंद्र द्वारा आरोपति और संगृहीत** कयिा जाता है।
 - लेकनि यह कर **केंद्र और राज्यों के मध्य** GST परषिद की सफिरशिों पर संसद द्वारा नरिधारति नयिम के अनुसार से वतरति कयिा जाता है।
 - **अनुच्छेद 270:**
 - इसमें **संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र कयिे गए कर शामिल हैं लेकनि ये कर संघ और राज्यों के बीच वतरति कयिे जाते हैं।**
 - इसमें नमिनलखिति को छोड़कर संघ सूची में नरिदषिट सभी कर और शुल्क शामिल हैं:
 - अनुच्छेद 268, 269 और 269-ए में उल्लिखिति शुल्क और कर।
 - अनुच्छेद 271 में उल्लिखिति करों और शुल्कों पर अधभार (यह वषिष रूप से केंद्र को जाता है)।
 - वषिषिट प्रयोजनों के लयि लगाया जाने वाला कोई उपकर।
- **सहायता अनुदान:** केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अतरिकित संवधिन केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं:
 - **सांवधिकि अनुदान (अनुच्छेद 275):** यह अनुदान **संसद द्वारा भारत की संचति नधिसे** उन राज्यों को दयिा जाता है जनिहें सहायता की आवश्यकता होती है। वभिन्निन राज्यों को अलग-अलग राशयिों दी जा सकती हैं।
 - **वविकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282):** यह केंद्र और राज्यों दोनों को कसिी भी सार्वजनकि उद्देश्य के लयि अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबधति वधियी कषमता के भीतर न हो।
 - इस प्रावधान के तहत केंद्र, राज्यों को अनुदान देता है। इन अनुदानों को वविकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है, इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लयि बाध्य नहीं है और यह वषिय उसके वविकाधीन होता है।
 - **इन अनुदानों का दोहरा उद्देश्य है:** योजना लकष्यों को पूरा करने के लयि राज्य को वत्तीय रूप से मदद करना और केंद्र के लाभ के लयि राष्ट्रीय योजना को लागू करने हेतु राज्य की काररवाई को प्रभावति करना तथा राज्य के साथ समन्वय स्थापति करना।

स्रोत: द हदि